

8-8-22  
कार्डिंग के कार्य समाप्त / समाप्त  
के कारण अधिवक्ता/अधीनस्थ नहीं  
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है  
पत्रावली दिनांक 16-8-22 की पेश हो

08.2022:- आज यह पत्रावली पेशी में आई। प्रार्थी गुरजन्ट सिंह  
जरिये अधिवक्ता श्री सुमित अरोड़ा उपस्थित आये।  
प्रार्थी अधिवक्ता श्री सुमित अरोड़ा द्वारा किया कि प्रार्थी अपने  
प्रार्थना-पत्र को अग्रणी नहीं चलाना चाहते है। प्रार्थी  
अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया  
गया। बाद अवलोकन प्रार्थी गुरजन्ट सिंह के फर्द  
अहकाम पर अग्रणी/अधीनस्थ करवाये गये। प्रार्थी की  
पहचान प्रार्थी सुमित अरोड़ा द्वारा की  
गई। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी मौजूदा सूस्त में खारिज  
किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद  
तरकीज तकमिल दाखिल दफतर हो



Web Copy - Not Official

राज्यक कलक्टर  
एवं अधिवक्ता/अधीनकारी  
मुम्बई

